कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री हिमांशु कुमार, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री इंडियन एग्रो एण्ड रिसाइक्लेड पेपर मिल्स एसोसियेशन, 404, विक्रान्त टावर, 4, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**95 / 10**
प्रार्थी की ओर से	**श्री सुधीर नारायण खन्ना, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-95 / 10, दिनांक 11.10.10 प्रस्तुत किया गया है जिसके अन्तर्गत निम्न प्रश्न पूछा गया है :-

1. यह कि यदि किसी पजीकृत व्यापारी द्वारा किसी एक वित्तीय वर्ष में कैपिटल गुड्स की खरीद पर दिये गये कर के समायोजन का दावा जो एक्ट के अनुरूप अगले समवर्ती तीन वर्षों के प्रथम माह / त्रैमास में किया जाता है तथा विधि अनुसार देय है। इस आई0 टी0 सी0 को अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास / मास में लाभ न लिये जाने की दशा में उसके भी अगले वर्ष में तथा प्रथम माह / त्रैमास के स्थान पर दूसरे माह / त्रैमास के रिटर्न (फार्म-24) के साथ क्लेम किया है तो इस पर आई0 टी0 सी0 का लाभ व्यापारी को देय होगा अथवा नहीं ?

2. यह कि केन्द्रीय बिक्री जो फार्म-सी के विरूद्ध की गयी है तथा फार्म-सी तीन माह में प्राप्त न होने की दशा में समयावधि बढ़ाये जाने का प्रार्थना-पत्र भी न दिये जाने की दशा में फाइनल कर निर्धारण आदेश पारित होने से पूर्व देरी क्षमा प्रार्थना-पत्र के साथ यदि फार्म-सी की मूल प्रति दाखिल की जाती है तो उसका लाभ व्यापारी को देय होगा अथवा नहीं ?

2. फर्म की ओर से श्री सुधीर नारायण खन्ना, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह बताया गया कि कैपिटल गुड्स की खरीद पर दिये गये समायोजन के दावे को आई0 टी0 सी0 से समायोजित किया जा सकता है अथवा नहीं तथा विलम्ब से केन्द्रीय बिकी के फार्म-सी को दाखिल करने पर क्या उक्त का लाभ व्यापारी को मिलेगा अथवा नहीं। अवगत कराया कि कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 29.09.08 के द्वारा जारी परिपत्र के द्वारा पर्याप्त कारण उपलब्ध होने पर कर निर्धारण अधिकारी को समय सीमा बढ़ाने हेतु स्वयं ही सक्षम बताया गया है।

3. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली, अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया पाया गया कि व्यापारी द्वारा जो दोनों प्रश्न पूछे गये है वह उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) की विषय वस्तु नहीं है। चूँकि व्यापारी द्वारा पूछा गया प्रश्न उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) (a), (b), (c), (d) एवं (e) की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। अत: व्यापारी का धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

4. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

5. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 22 मई, 2012

ह0 / 22.05.2012

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।